16/3/2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं वैरोकार सरकार उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

2020/00283

संक्षिप्त विवाद प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा विरूद्ध विपक्षी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 350, 351, 352, 353 कीता 4 कुल रकबा 1.56 हे. ग्राम बस्सी में स्थित है। प्रार्थीगण पूर्वजों के समय से ही उक्त आराजीयात की उत्तर दक्षिण दिशा की ओर स्थित सरकारी पड़त भूमि आराजी नम्बर 359 रकबा 0.12 हे में बने कच्चे रास्ते से आने-जाने एवं कृषि कार्य हेतु बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, कृषि उपकरण लाने-व ले जाने के लिए उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

विपक्षी ने [illegible] बंद कर दिया है एवं लोगों ने [illegible] कब्जा कर लिया है तथा आने [illegible] की भी [illegible] करने लगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:24:59 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पा आमरा है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर आने-जाने व कृषि उपकरण लाने-ले जाने में भारी समस्या आ रही है। प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर आने जाने का और अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का न्यायालय आदेशानुसार मुआवजे का भुगतान करने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बस्सी की खसरा संख्या 359 रकबा 0.12 हे. भूमि में से 10 फीट चौड़ा रास्ता नियमानुसार मुआवजा निर्धारित कराया जाकर राजस्व रेकार्ड में तरमीम कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।	
प्रकरण में तहसीलदार से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसील से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बस्सी की आराजी संख्या 350 रकबा 0.41, 351 रकबा 0.73, 352 रकबा 0.32, 353 रकबा 0.10 कुल कीता 4 रकबा 1.56 हे. भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी हक ते दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात पर जाने आने हेतु मौके एवं रेकार्ड अनुसार कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा आ.नं. 359 रकबा 0.12 हे. किस्म बीड़ बिलानाम सरकार में रास्ते के उपयोग हेतु चाही जा रहा रास्ता निकटतम एवं लघुतम है तथा इससे किसी भी प्रकार से कृषि [illegible] भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं हो रहा [illegible] रास्ते के काम आ रही उक्त भूमि पर [illegible] बिना मुआवजा कोई निवासी बस्सी द्वारा अतिक्रमण	
---- लगातार	

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Su
Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:24:59 IS
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कर लिया हो। रास्ते में उपयोग आने वाली भूमि का खसरा नं. 359 रकबा 0.12 है. के उत्तरी-पूर्वी भाग से दक्षिणी पूर्वी कोने तक 75×4=300 वर्गमीटर अर्थात 0.03 है. बनता है, जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 15491/- प्रतिहेक्टेयर से प्रस्तावित रास्ते की कीमत 46473 के दो गुना 92946/- रूपए बनती है। अतः हल्का रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम बस्सी स्थित आराजी संख्या 350, 351, 352, 353 कीता 4 कुल रकबा 1.568 है. भूमि पर आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 359 रकबा 0.12 है. में से 75×4=300 वर्गमीटर 0.03 है. की भूमि की कीमत डी.एल.सी. दर के दो गुना 92946.00 (बराबर बानवे हजार नौ सौ छियालीस) रूपए विपक्षी खातेदार को भुगतान किए जाने पर विपक्षी की ख.नं. 359 रकबा 0.12 है. से 0.03 है. को रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है, उक्त भूमि की किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त राशि 92946.00 रूपए का भुगतान विपक्षी को करने हेतु प्रार्थीगण उक्त राशि का ड्राफ्ट तहसीलदार बस्सी के नाम का बनाकर प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित तहसीलदार को राजस्व अभिलेख में रास्ते का अमलदरामद किए जाने हेतु निर्णय की प्रति मय मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया हो ड्राफ्ट पालनार्थ प्रेषित किए जावें। राशि [illegible] में जमा होने के पश्चात राजस्व [illegible] उक्त भूमि की किस्म रास्ता [illegible] कर [illegible] रास्ते का रेकार्ड में तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:24:
Reason: SelfAttested